गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या 126–ए, राधेश्याम पार्क, साहिबाबाद, गाजियाबाद में बेसमेंट+भूतल+प्रथम तल+द्वितीय तल का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है परन्तु मौके पर निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृति के विपरीत अतिरिक्त तलों का निर्माण करा लिया गया है। अतिरिक्त तलों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है तथा स्वीकृत कराये गये मानचित्र की नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उक्त बिल्डिंग में कोई भवन/यूनिट क्रय किया जाता है और प्राधिकरण के निर्णयोंपरान्त इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है तो प्राधिकरण क्रेता की आर्थिक क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न आवासीय योजनाओं यथा इन्दिरापुरम, राजेन्द्रनगर, शालीमारगार्डन, श्यामपार्क, मधुबन–बापूधाम, राजनगर, शास्त्रीनगर, कविनगर, नेहरूनगर, पटेलनगर, लोहियानगर इत्यादि में ऐसे भूखण्ड जिनके ले–आउट/मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हैं, में विकासकर्ता द्वारा ले–आउट/मानचित्र के अनुसार ही निर्मित किये गये भवन अनुमन्य हैं। यदि विकासकर्ता द्वारा स्वीकृति के अतिरिक्त तल अथवा ले–आउट/मानचित्र के विपरीत निर्माण किया जाता है तो वह निर्माण अनुमन्य नहीं है और उसके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाएगी तथा ऐसे बिल्डर/विकासकर्ता के विरूद्ध जनसामान्य के साथ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी।

अतः जनसामान्य से अपील है कि उक्त योजनाओं में ऐसे भूखण्ड जिसमें विकासकर्ता द्वारा निर्माण किया गया है, में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ले–आउट/मानचित्र सत्यापित करने के उपरान्त ही क्रय करें अन्यथा ले–आउट/मानचित्र के विरूद्ध निर्माण को क्रय करने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, : @ Gda Ghaziabad : @ gdagzb

हेल्पलाईन 0120-4418 384, व्हाट्सएपः 9990988004 वेबसाईटः www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प